संख्या-5/2018/एस0-3-1074/दस-2018-134(14)/2017

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय,
उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवाएं) अनुभाग-3 **लखनऊः दिनॉक 13 अगस्त 2018**

विषयः रिट याचिका संख्या-6441/एस0एस0/2005 एवं रिट याचिका संख्या-1455/एस0एस0/2006 में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दि0 20-8-2014 एवं 31-10-2017 के अनुपालन में शासनादेश निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयवस्तु से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-154/18(33)/2015को0नि0/स्था0 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या-6441/एस0एस0/2005 (उ0प्र0 कोषागार कर्मचारी उपसंघ, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य) एवं रिट याचिका संख्या-1455/एस0एस0/2006(उ0प्र0 कोषागार कर्मचारी संघ बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 20-8-2014 एवं दिनांक 31-10-2017 के क्रम में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उ0प्र0 कोषागार कर्मचारी संघ द्वारा कोषागार के लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों को उच्च वेतनमान दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रि0या0सं0 6522/एस0एस0/1993 में पारित निर्णय दिनांक 03-12-2004 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-एस-3-1697/दस-2005, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 निर्गत करते हुए कोषागारों के लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों को उच्च वेतनमान क्रमशः रू0 1640-2900एवं रू0 1400-2300 दिनांक 01-01-1986 से दिये जाने का आदेश निर्गत किया गया। इसी शासनादेश के

प्रस्तर-8 द्वारा कोषागारों में शासनादेश संख्या-एस-3-1494(1)दस-08-134(8)91, दिनांक 6 अगस्त 1998 द्वारा कोषागार लेखाकार तथा सहायक कोषागार लेखाकार के पदों का दिनांक 01-01-1986 से80:20 में किया गया पुनर्वितरण निष्प्रभावी कर दिया गया।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 13-9-2005 के अनुपालन में कुछ कोषागारों द्वारा कोषागार लेखाकारों को प्रत्यावर्तित किये जाने की कार्यवाही की गयी। इसी मध्य उक्त शासनादेश दिनांक 13-9-2005 के प्रस्तर-8 के विरूद्ध कतिपय कोषागार कर्मचारी संघों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में रि0या0सं0-6441 /एस0एस0/2005 एवं 1455/एस0एस0/2006 योजित की गयीं। उपर्युक्त याचिकाओं पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 24-10-2005 एवं 01-03-2006 को कतिपय अन्तरिम आदेश पारित करते हुए शासनादेश दिनांक 13-9-2005 के प्रस्तर-8 के प्रभाव को स्टे कर दिया गया था।

4- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-एस-3-1065/दस-2006, दिनांक 31 जुलाई, 2006 निर्गत करते हुए उपर्युक्त याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन प्रत्यावर्तन आदेशों को स्थगित करते हुए पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया गया था।

5- वर्तमान में उपर्युक्त दोनों याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा सुनवाई उपरान्त क्रमशः दिनांक 20-8-2014 एवं 31-10-2017 को निर्णय पारित करते हुए तथा सभी अन्तरिम आदेशों को वैकेट करते हुए डिसमिस कर दिया गया है। रिट याचिका 6441/एस0एस0/2005 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-8-2014 के प्रस्तर-12 में 80:20 के सम्बन्ध में निम्नवत आब्जर्वेशन्स किया गया हैं :-

“The submission, in my view, is patently erroneous. The cadre strength and fixation of number of posts in strength is a policy decision. It is not the case of petitioner's association that as a result of reduction in strength, any member of petitioner's association, who was already getting salary in higher pay scale, has been placed in lower scale and his salary has been reduced. As a result of alteration of cadre strength it is only the chance of promotion, which will be affected. It is within the domain of employer to determine the strength of various cadres in personnel's structure in the establishment. It cannot be said that providing lesser number of posts in higher cadre would be

Per se illegal or arbitrary or otherwise vitiated in law, if large number of posts in higher cadre are reduced and in the lower cadre the strength is increased or revived.....”.

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रि0या0सं0-6441/ एस0एस0/2005 एवं रि0या0सं0-1455/एस0एस0/2006 में पूर्व में पारित सभी अन्तरिम आदेश वैकेट होने तथा

उक्त याचिकाओं के डिसमिस हो जाने के कारण शासनादेश दिनांक 13-9-2005, वर्तमान में पूर्णरूप से प्रभावी हो गया है, जिसके प्रस्तर-8 के अनुसार 80:20 की व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रह गया है। अतः कोषागार लेखाकारों एवं कोषागार सहायक लेखाकारों के पदों हेतु 80:20 का अनुपात मानते हुए पदोन्नति एवं अन्य परिणामी लाभ दिया जाना अनियमित है।

7- प्रदेश के कोषागारों के लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदो के पुनर्वितरण हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-6 में उल्लिखित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-5/2018/एस0-3-1074(1)/दस-2018-134(14)/2017 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।